जनदर्शन में पहुंचे जिले भर के लोग, कलेक्टर चतुर्वेदी ने सुनी समस्याएं

❒ जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के गुणवत्ता पूर्ण निराकरण के दिए निर्देश

❒ मंगलवार को अब दोपहर 12 बजे से कलेक्टर चेंबर-प्रतीक्षा कक्ष में आयोजित होता है जनदर्शन

रायगढ़

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्टर चेंबर के बाहर प्रतीक्षा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले भर के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा कर जानकारी ली। उन्होंने आवेदकों के आवेदनों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये आवेदकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर रवि राही एवं अपूर्व प्रियेश टोप्पो उपस्थित रहे।

जनदर्शन में आज जूटमिल निवासी वृद्ध उमा सिदार निराश्रित पेंशन की मांग लेकर जनदर्शन में पहुंची थी। उन्होंने बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है। उनके पास मजदूरी के अलावा आय का कोई स्रोत नहीं है, उन्होंने बताया कि उन्हें शासन की महतारी वंदन योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें निराश्रित पेंशन प्रदान किया जाए। इसी प्रकार जूटमिल निवासी 62 वर्षीय विजय सारथी भी वृद्धा पेंशन की मांग लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वह अत्यंत वृद्ध है एवं उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। मजदूरी के अलावा आय का कोई साधन नहीं है। कलेक्टर चतुर्वेदी ने आवेदनों के प्राथमिकता से निराकरण करने हेतु समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया।

छोटे अंतरमुडा निवासी दिलीप चक्रवर्ती ने बिजली बिल संबंधी शिकायत लेकर पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए मीटर में से उसके वास्तविक खपत से अधिक रीडिंग आ रहा है। जिससे मेरे उनका बिजली बिल बढ़ते जा रहा है, उन्होंने समस्या का निराकरण का आग्रह किया। कलेक्टर चतुर्वेदी सीएसईबी को आवेदन के निराकरण के निर्देश दिए। सहदेव पाली निवासी सरला अग्रवाल भूमि स्वामी हक की भूमि पर बिना अनुमति के अवैध रूप से ईट बनाए जाने की शिकायत लेकर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि उनका जोरापाली में स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि में अन्य व्यक्ति द्वारा लाल ईट बना रहा है। उन्होंने ईट भट्टा बंद करवाने का आग्रह किया। आवेदन पर कलेक्टर चतुर्वेदी ने एसडीएम रायगढ़ को आवेदन के निराकरण के निर्देश दिए।

बोईरदादर वार्ड क्रमांक 48 के वार्डवासियों ने शराब दुकान हटाए जाने की मांग लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि गोवर्धनपुर रोड स्थित सतनामी मोहल्ला में निवास करते है, लेकिन मोहल्ले में शराब दुकान होने के कारण आए दिन शराबियों द्वारा गाली गलौज, मार-पीट, लड़ाई झगड़ा सामान्य बात हो गई है। इससे महिलाओं और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है साथ ही माहौल खराब होने से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने शराब दुकान हटाए जाने का निवेदन किया। कलेक्टर चतुर्वेदी ने आवेदन के निराकरण हेतु आबकारी विभाग को निर्देशित किया। कोड़ातराई निवासी ललिता वैष्णव ग्रामीण बैंक द्वारा मृतिका उनकी माता के नाम पर जमा राशि प्रदान नहीं कारण की शिकायत आवेदन लेकर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि उनकी उनकी माता का निधन हो गया है। जिसकी नॉमिनी वह स्वयं है, संपूर्ण दस्तावेज के जमा कारण के पश्चात भी उनको राशि प्रदाय नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपनी मां के खाते की राशि दिलवाने का निवेदन की। कलेक्टर चतुर्वेदी ने आवेदन की जांच कर लीड बैंक मैनेजर को निराकरण के निर्देश दिए।

रायगढ़ के मिट्ठुमुड़ा निवासी देवमती कंवर स्वयं के नाम से राशन कार्ड जारी कारण के संबंध के आवेदन लेकर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि उनके सास के नाम से जारी राशन कार्ड में उनका, उनके पति, दो बच्चों का नाम दर्ज है। जिससे राशन लेने में दिक्कत होती है। उन्होंने जारी राशन कार्ड से अपने पति और बच्चों का नाम निरस्त कर उनके नाम से नया राशन जारी करने का आग्रह किया, ताकि राशन लेने में दिक्कत न हो। इसी प्रकार रायगढ़ की मीरा गोहो भी राशन कार्ड के संबंध में आवेदन लेकर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी ही चुकी है। उन्होंने अपने राशन कार्ड से उनका नाम कटवाने का आग्रह किया। पतरापाली निवासी संदीना उरांव राशन कार्ड के संबंध में आवेदन लेकर पहुंची थी। उन्होंने बताया कि उनके पति करण सिंह उरांव का नाम उनके माता रूपनी उराव के राशन कार्ड में अंकित होने के कारण एवं राशन कार्ड से उनका नाम नहीं कटने के कारण आवेदिका के नाम से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, जबकि उनकी सास पिछले 5 वर्षों से अलग रह रही है। उन्होंने राशन कार्ड से अपने पति का नाम करवाने का आग्रह किया ताकि उनका राशन कार्ड बन सके। कलेक्टर चतुर्वेदी ने आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश खाद्य विभाग को दिए।

मंगलवार को अब दोपहर 12 बजे से कलेक्टर चेंबर-प्रतीक्षा कक्ष में आयोजित होता है जनदर्शन

आवेदकों के पंजीयन प्रात: 11 बजे से कर दिया जाता है प्रारंभ

पूर्व में प्रति सप्ताह मंगलवार को दोपहर 1 बजे से सृजन सभाकक्ष में आयोजित होने वाले कलेक्टर जनदर्शन के समय एवं स्थान में बदलाव किया गया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन में अब प्रति मंगलवार को दोपहर 12 बजे से कलेक्टर चेंबर के बाहर प्रतीक्षा कक्ष में कलेक्टर जनदर्शन का आयोजन हो रहा है। जिसके लिए आवेदकों के पंजीयन प्रात: 11 बजे से प्रारंभ कर दिया जाता है। अत: आवेदक उक्त निर्धारित समय और स्थान पर पहुंच कर अपनी समस्या रख सकते हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

लू के लक्षण एवं बचाव के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अनिल कुमार जगत ने लू के लक्षण एवं बचाव के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए आम जनता से अपील किया है कि लू के प्रभाव को गंभीरता से लें, इससे बचाव हेतु आवश्यक सावधानी बरतने एवं और सुरक्षित रहने के उपाए बताए।

क्या करें- घर से बाहर निकलने के पहले पर्याप्त पानी अवश्य पियें। सूती, ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहनें। धूप में निकलते समय अपना सिर ढंककर रखें, टोपी, कपड़ा, छतरी का उपयोग करें। पानी, छाछ, ओ.आर.एस. का घोल या घर में बने पेय पदार्थ जैसे-लस्सी, नींबू पानी, आम का पना इत्यादि का सेवन करें। ताजा भोजन करके ही घर से निकलें, धूप में अधिक निकलने से बचें।

क्या न करें- धूप में खाली पेट न निकलें। पानी हमेशा साथ में रखें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। धूप में निकलने के पूर्व तरल पदार्थ का सेवन करें। मिर्च मसाले युक्त एवं बासी भोजन न करें। बुखार आने पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें। कूलर या एयर कंडीशन से धूप में एकदम न निकलें। साथ ही अनावश्यक धूप में न निकलें।

लू के लक्षण- सिरदर्द, बुखार, उल्टी, अत्यधिक पसीना एवं बेहोशी आना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में ऐठन, नब्ज असामान्य होना।

ध्यान रखें लू के लक्षण हो तो- व्यक्ति को छायादार जगह पर लिटायें, व्यक्ति के कपड़े ढीले करें, उसे पेय पदार्थ कच्चे आम का पना आदि पिलायें। तापमान घटाने के लिये ठंडे पानी कि पट्टियां रखें। प्रभावित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाकर चिकित्सकीय परामर्श लें।

पिकअप और बोरवेल ट्रक में भिड़ंत, चालक की मौत

भानुप्रतापपुर (आरएनएस)। कांकेर जिले के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले ग्राम कच्चे में मंगलवार को एक दर्दनाक सडक़ हादसा हो गया। भानुप्रतापपुर से रायपुर जा रही पिकअप वाहन और सामने से आ रही बोरवेल ट्रक की जोरदार टक्कर में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह टक्कर कच्चे पुलिस चौकी से करीब 100 मीटर आगे हुई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद बोरवेल ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। घटना के चलते सडक़ पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को वाहन से बाहर निकाला और भानुप्रतापपुर अस्पताल भेजा। साथ ही, काफी मशक्कत के बाद यातायात को सामान्य किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है।

शास. उच्च. मा. विद्यालय पुसौर के छात्र-छात्राओं ने पूर्ण किए हेल्थ केयर इंटर्नशिप

रायगढ़

हायर सेकेंडरी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी डॉ के व्ही राव एवं एडीपीओ भुवनेश्वर पटेल के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुसौर में अध्ययनरत कक्षा 11वीं के हेल्थ केयर संकाय के छात्र-छात्राओं ने हाल ही में 10 दिवसीय इंटर्नशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किए। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या अमरबेली केरकेट्टा द्वारा सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 से इस विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हेल्थ केयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को छात्र-छात्राएं अत्यंत उत्साह एवं रुचि के साथ ग्रहण कर रहे हैं। वर्ष में दो बार औद्योगिक भ्रमण की भी व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थियों ने रक्तचाप, नाड़ी तथा श्वसन दर की जांच की विधियों, प्राथमिक उपचार के सिद्धांतों, सीपीआर देने की प्रक्रिया, पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखने के उपायों तथा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत अपशिष्ट निपटान की विधियों के बारे में व्यवहारिक जानकारी प्राप्त की। व्यावसायिक प्रशिक्षक धारिणी यदुराज ने बताया कि इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद विद्यार्थियों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं जैसे-स्वच्छ एवं व्यवस्थित पहनावा, व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति सजगता, कचरे का उचित निपटान तथा विद्यालय एवं घर के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने की आदत। विद्यालय की प्राचार्या अमरबेली केरकेट्टा ने इस अवसर पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि हमारे विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के ऐसे उपयोगी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान अर्जित कर भविष्य में स्वरोजगार एवं रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय की व्यवसायिक प्रशिक्षक धारिणी यदुराज का विशेष मार्गदर्शन रहा। समापन कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय के अन्य शिक्षकगण भी उपस्थित रहे और विद्यार्थियों की उपलब्धि की सराहना की।

अमानत में खयानत मामले में 8 वर्षों से फरार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। थाना खमतराई में अमानत में खयानत के एक मामले में पिछले 08 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी सलीम खान को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार है। मामले में दो अन्य लोगों को पूर्व में गिरफ्ताार कर जेल भेजा गया था।

बता दें कि प्रार्थी अजय कुमार दुबे पिता शिवराम दुबे उम्र-37 वर्ष निवासी वाल्टियर रेल्वे कासिंग मोवा थाना पण्डरी रायपुर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनकी कपंनी श्री नाकोडा इस्पात सिलतरा से ट्रक कमांक सी.जी. 12 एस.-2780 में 15.890 टन टी.एम.टी. सरिया लोड कराकर अमलीडीह भेजा था लेकिन उक्त ट्रक के चालक के द्वारा ट्रान्सपोर्ट नगर में ट्रक को लाकर दिनांक घटना समय 16.12.2017 के रात 04.30 बजे आरोपी वाहन के मालिक मोहम्मद अतीक ट्रक कमांक सी.जी.-12 एस. 2780 के चालक अरविन्द किस्पोट्टा दूसरे ट्रक कमांक सी.जी. 04 जेड.सी. 6104 के चालक सलीम खान ट्रक क्रमांक सी.जी. 04 जेड.सी. 6104 में टीएमटी सरिया एक बड्डल पल्टी कर लिये है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध 595/2017 धारा 407,511,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण के आरोपी मोहम्मद अतिक एवं अरविंद किसपोट्टा को पूर्व में गिरफ्तार किया गया।

मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा प्रोत्साहन योजनांतर्गत टॉप-10 में आने वाले छात्र-छात्राओं हेतु प्रोत्साहन सहायता योजना संचालित

रायगढ़

श्रम विभाग अंतर्गत छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों हेतु मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना संचालित है। उक्त योजनांतर्गत कक्षा 10वीं से स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत या 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर राशि 5000 से 12,500 रुपये तक वार्षिक प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाता है एवं छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर 01 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि तथा दो पहिया वाहन क्रय किए जाने हेतु अनुदान राशि 01 लाख रुपए प्रदाय किया जाता है। व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हेतु समस्त शैक्षणिक शुल्क(शासकीय दर पर) छात्रावास में रहने व भोजन शुल्क 2 हजार प्रतिवर्ष स्टेशनरी हेतु प्रदाय किया जाता है। विदेश में अध्ययन हेतु वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम राशि 50 लाख रुपए सहायता राशि प्रदाय की जाती है। उक्त योजना का लाभ प्रथम दो संतान हेतु प्रदाय किया जाता है।

सहायक श्रमायुक्त, रायगढ़ ने समस्त पंजीकृत श्रमिकों से अनुरोध किया है कि जिनके बच्चे कक्षा 10वीं एवं 12वीं या स्नातकोत्तर में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये है तो मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन कर लाभ प्राप्त करें। उक्त योजनांतर्गत आवेदन श्रमिक स्वयं के द्वारा/मोबाईल ऐप्प के माध्यम से एवं किसी भी नजदीकी च्वाईस सेंटर में जाकर भी योजना आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सुशासन तिहार में कलेक्ट्रेट के कई शाखाओं में हुआ फेरबदल

❒ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने किया आदेश जारी

❒ प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से कई शाखाओं के बदले गए प्रभारी

रायगढ़

प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार में प्रशासनिक कसावट की दृष्टि से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों के कार्यभार में फेरबदल किया है। इनमें निर्वाचन पर्यवेक्षक फकीर मोहन षडंगी को निर्वाचन पर्यवेक्षक (सामान्य निर्वाचन) शाखा के कार्यों के साथ-साथ भू-अर्जन शाखा का कार्यभार दिया गया है। इसी तरह सुरेन्द्र कुमार पण्डा को सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन),सहायक ग्रेड-2 गौरी श्रीवास्तव को वरिष्ठ लिपिक शाखा/शास.आवास गृह आबंटन, सहायक ग्रेड-2 जानकी यादव को सहायक अधीक्षक (सा.)/अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा, सहायक ग्रेड-2 राजकुमार सिदार को राजस्व लेखापाल/राजस्व आपदा शाखा, सहायक ग्रेड-2 विजय कुमार सरकार को कमिश्नर कैंप कोर्ट रायगढ़ के साथ-साथ विभागीय जांच शाखा का प्रभार सौंपा गया है।

सहायक ग्रेड-2 पोषण लाल पटवा को तहसील कार्यालय रायगढ़, सहायक ग्रेड-2 डीकाराम शेष को वाचक न्यायालय नजूल, सहायक ग्रेड-2 मुकेश कुमार भोई को भू-अर्जन शाखा, सहायक ग्रेड-2 कुलदीप कुमार खैरवार को न्यायिक लिपिक/एसडब्ल्यू/सहायक अधीक्षक राजस्व शाखा, सहायक ग्रेड-2 रूपेश कुमार कंवर को वाचक न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक ग्रेड-2 रेखा धुर्वे को जनचौपाल/पीजी पोर्टल/मुख्यमंत्री घोषणा, स्टेनोग्राफर वर्ग-3 अल्पा बेहरा को स्टेनो टू अतिरिक्त कलेक्टर के साथ-साथ सूचना का अधिकार (प्रथम अपील प्रकरण)का कार्य सौंपा गया है। सहायक ग्रेड-3 उमेश कुमार यादव को सहायक अधीक्षक राजस्व शाखा, सहायक ग्रेड-3 प्रशांत कुमार पण्डा को प्रपत्र/समय-सीमा/नजरात शाखा/पुरातत्व एवं संस्कृति/पर्यटन, स्टेनोटायपिस्ट राजेश सिंह कंवर को कार्यालय शासकीय अभिभाषक रायगढ़ को आगामी आदेश पर्यन्त कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है।

पुसौर में डायल 112 के आरक्षक की बहादुरी: आत्महत्या के लिए पेड़ पर चढ़े युवक को जान जोखिम में डालकर बचाया

रायगढ़

रायगढ़ जिले के पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सारसमाल में डायल 112 में पदस्थ आरक्षक डेहरू राम उरांव ने अपनी जान की परवाह किए बिना आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक को बचाकर एक मिसाल पेश की है। घटना आज शाम करीब 7:30 बजे की है, जब डायल 112 पुसौर की राइनो टीम को कमांड कंट्रोल रायपुर से सूचना मिली कि ग्राम सारसमाल में एक युवक आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है।

सूचना मिलते ही डायल 112 पर तैनात आरक्षक डेहरू राम उरांव ने घटना की गंभीरता को भांपते हुए तत्काल इसकी सूचना थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रामकिंकर को दी। थाना प्रभारी ने भी स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सहायक उप निरीक्षक मनमोहन बैरागी और आरक्षक धनुर्जय चंद बेहरा को तुरंत मौके पर रवाना किया।

पुलिस टीम जब घटनास्थल पहुंची, तो देखा कि युवक रामकुमार सिदार एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा हुआ था और फांसी लगाने ही वाला था। गांववाले उसे नीचे उतरने की लगातार समझाइश दे रहे थे, लेकिन युवक किसी की बात नहीं सुन रहा था। ऐसे में आरक्षक डेहरू राम उरांव ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तत्परतापूर्वक पेड़ पर चढ़कर युवक को फांसी लगाने से रोका और सुरक्षित नीचे उतार लाया।

पूछताछ में युवक ने बताया कि वह पारिवारिक कारणों से तनाव में था और आत्महत्या का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसे समझाइश देकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आरक्षक की इस बहादुरी और मानवीय संवेदनशीलता से भरे कदम की गांववालों सहित समूचे पुलिस विभाग में सराहना की जा रही है।

यह घटना डायल 112 सेवा की तत्परता और संवेदनशीलता का एक जिंदा उदाहरण है, जो हर आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहती है। आरक्षक डेहरू राम उरांव का यह कार्य न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि अन्य पुलिसकर्मियों के लिए भी प्रेरणा स्वरूप है।

लूट का फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जशपुर । आरएनएस

लूट का फरार आरोपी सुहेल उर्फ शोएब उर्फ गयासुद्दीन अंसारी पूरे 22 साल बाद जशपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वर्ष 2002 में अपने साथियों के साथ देशी कट्टे से लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपी को न्यायालय से जमानत मिली हुई थी इसी दौरान आरोपी फ रार हो गया था जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी अंतत पूरे 22 साल के बाद जशपुर पुलिस ने आरोपी को झारखंड से हिरासत में लेकर जशपुर लाई। गौरतलब है , कि जशपुर पुलिस के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के नेतृत्व व दिशा निर्देश में ऑपरेशन अंकुश के तहत पुराने मामलों के फरार आरोपियों की धर पकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया गया है, इसी अभियान के तहत जशपुर पुलिस के द्वारा थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2002 में लूट के मामले का आरोपी सुहेल उर्फ शोएब उर्फ गयासुद्दीन अंसारी पिता कबीर शेख अंसारी उम्र 46 वर्ष, जो कि माननीय न्यायालय से जमानत मिलने के बाद से ही लगभग 22 वर्षों से फरार था, को गढ़वा (झारखंड) से हिरासत में लेकर वापस लाया गया है। वर्ष 2002 में ग्राम गुरुमहाकोना , थाना बगीचा ,निवासी, ने थाना बगीचा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह दिनांक 17/11/2002 को अपनी कमांडर जीप क्रमांक छ्त्र 15र0263 से अपने पुत्र व गांव के ही रिश्तेदारों के साथ जशपुर से वापस अपने गांव लौट रहे थे इसी दौरान थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत एक वेदों नाला पुलिया के पास सडक़ के बीच लकड़ी व पत्थर रखा हुआ देखने पर उनके द्वारा अपनी कमांडर जीप को रोक दिया गया ,तभी सडक़ की तरफ से तीन लुटेरे आए, व देशी कट्टा की नोक पर उनसे मारपीट करते हुए,42 हजार रुपए लूट कर ले गए थे। रिपोर्ट पर थाना बगीचा में देसी कट्टे की नोक पर लूट व मारपीट के लिए भा. द. वि. के धारा 394, 397 व 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान मामले में शामिल तीन आरोपियों क्रमश: अरुण नायडू, निवासी भागलपुर, जशपुर, नंदलाल, निवासी बाकी टोली, जशपुर व शोएब उर्फ सुहेल उर्फ गयासुद्दीन, (उस वक्त का पता गुडलु, बादूपारा, बगीचा) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो नग देसी कट्टे, कारतूस, तथा लूट की रकम, को बरामद कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। उक्त मामले के आरोपी अरुण नायडू को सात वर्ष की सश्रम सजा सुनाई गई थी, तथा दूसरे आरोपी नंदलाल की मृत्यु हो गई है, व आरोपी सुहेल अंसारी वर्ष 2003 में माननीय न्यायालय से जमानत मिलने के बाद से फरार था। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी सुहेल उर्फ शोएब उर्फ गयासुद्दीन अंसारी उम्र 46 वर्ष के विरुद्ध स्थाई वारंटी भी जारी किया गया है। पुलिस जब आरोपी सुहेल अंसारी के ग्राम आदर थाना बरडीहा जिला गढ़वा झारखंड पहुंची तो पाया कि फरार आरोपी सुहेल अंसारी , गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका है, उसकी पत्नी गांव की सरपंच है, जिस पर जशपुर पुलिस के द्वारा, थाना बरडीहा (झारखंड) पुलिस से सहयोग लेकर ,जब आरोपी सुहेल अंसारी को हिरासत में लेने के गई , तो आरोपी सुहेल अंसारी के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा व पत्नी के सरपंच पद का धौंस दिखाते हुए, अपनी घर में घुसकर दरवाजा बंद कर, बाहर आने से मना करने लगा, परन्तु पुलिस के कठोर व सख्त रवैए के आगे वह टूट गया। जशपुर पुलिस के द्वारा आरोपी सुहेल अंसारी को हिरासत में लेकर वापस लाया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU